# छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
## शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 212/2006</u>

| | | |
|---|---|---|
| श्री भूपेश तिवारी,<br>आत्मज श्री एस.एन.तिवारी,<br>ग्राम–खोरमा, पो0 प्रतापपुर,<br>जिला–सरगुजा (छत्तीसगढ़) | .......... | अपीलार्थी |

विरूद्ध

| | | |
|---|---|---|
| जन सूचना अधिकारी,<br>वनमंडलाधिकारी, वन विभाग,<br>उत्तर सरगुजा, प्रतापपुर<br>जिला–सरगुजा (छत्तीसगढ़) | .......... | प्रतिअपीलार्थी |

## :: आदेश ::
( 29 जुलाई 2006 )

श्री भूपेश तिवारी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा–19(2) के अंतर्गत प्रथम अपीलीय अधिकारी वन सरंक्षक, वन विभाग, अंबिकापुर (सरगुजा) के पत्र दिनांक 2–6–2006 से असंतुष्ट होकर आयोग में अपील प्रस्तुत की।

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने जन सूचना अधिकारी, वनमंडलाधिकारी, उत्तर सरगुजा को आवेदन प्रस्तुत कर प्रतापपुर वन परिक्षेत्र में रतनजोत पौधारोपण कार्य से संबंधित पांच बिन्दुओं की जानकारी चाही थी। जानकारी निर्धारित अवधि में प्राप्त न होने पर अपीलार्थी ने वन संरक्षक, अंबिकापुर के समक्ष दिनांक 21–03–2006 को प्रथम अपील प्रस्तुत की। अपीलार्थी ने अपनी अपील में उल्लेख किया कि उससे दिनांक 5–4–2006 को वनमंडलाधिकारी, सरगुजा ने दबाव डालकर सादा लेटरपेड पर हस्ताक्षर करवा लिये तथा बाद में यह लिख दिया कि उसके पूर्व के आवेदन पत्र दिनांक 11–02–2006 पर किसी भी प्रकार का बल न दिया जावे। इसके विरूद्ध अपीलार्थी ने थाना प्रभारी, प्रतापपुर में लिखित में शिकायत भी दर्ज कराई। अपीलीय अधिकारी ने इसी आधार पर अपील खारिज की, जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

प्रतिअपीलार्थी को आयोग के द्वारा नोटिस जारी किया गया प्रतिअपीलार्थी ने अपना जवाब प्रस्तुत किया। मेरे द्वारा दोनों पक्षों को सुना गया तथा प्रस्तुत जवाबों पर विचार किया गया। प्रतिअपीलार्थी वनमण्डलाधिकारी ने इस आरोप को अस्वीकार किया है कि उसने दबाव डालकर अपीलार्थी से उसके मूल आवेदन पत्र पर चाही गई जानकारी की आवश्यता नहीं होने के संबंध में लिखाया गया। उसका यह कहना है कि जब मागी गई जानकारी का शुल्क आवेदक से मांगा गया तब आवेदक ने यह लिखकर दिया कि उसके आवेदन पर बल न दिया जावे। सुनवाई के समय प्रतिअपीलार्थी ने यह

माना कि जानकारी तैयार करने में समय लगने के फलस्वरूप थोड़ा विलम्ब हुआ है, क्योंकि जानकारी विस्तृत रूप से चाही गई थी। प्रकरण की सुनवाई के समय अपीलार्थी ने यह बतलाया कि उसे पांच बिन्दुओं में से चार बिन्दुओं से संबंधित केवल चलगली एवं रेवती के मस्टररोल की जानकारी की आवश्यकता है। बिन्दु क्रमांक–5 की जानकारी अब वह नहीं चाह रहा है।

प्रकरण में सभी तथ्यों पर विचार कर सूचना अधिकारी, वनमंडलाधिकारी, उत्तर सरगुजा पर अर्थदण्ड किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। सूचना अधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वे 10 दिन के अंदर आवेदक के द्वारा बिन्दु क्रमांक–1 से 4 तक की जानकारी दें। बिन्दु क्रमांक–4 में केवल दो गांव ग्राम चलगली एवं रेवती में कार्य में संलग्न मजदूरों के मस्टररोल की प्रति अपीलार्थी को 10 दिन के अंदर उपलब्ध कराकर आयोग को सूचित करें। इस निर्देश के साथ अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

**( ए. के. विजयवर्गीय )**
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त